(40)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 302/VII-1/2018/24 सोपस्टोन/16
देहरादूनःदिनांकः 14 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम गडेरा में 23.525 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० वेव माईन्स प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 8.4.2016 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1168/VII-1/24–सोपस्टोन/2016, दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा मै० वेव माईन्स प्रा०लि० के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम गडेरा में आवेदित 23.525 है० भूमि के सापेक्ष 22.645 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1012/मु०ख०/49/बागे०/खनन/2016–17, दिनांक 1 मार्च, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० वेव माईन्स प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट गडेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर के पक्ष में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.8.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना निर्धारित समयान्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका सं० 116/एम०एस०/2017 महेश सिंह शाही बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम गडेरा में कुल 22.645 है० भूमि पर उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 50 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	ग्राम गडेरा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर में जोतदार के नाम श्रेणी 1(क) दर्ज भूमि 16.816 है०, श्रेणी 4 की भूमि 1.291 है०, श्रेणी 5 की भूमि 0.050 है०, राज्य सरकार की भूमि 3.747 है० तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.741 है० कुल 22.645 है० भूमि एक संहत खण्ड में ग्राम गडेरा, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर, जो विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो, शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. आवेदक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्व रहेगा।

7.5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर के पत्र संख्या–3335/902, दिनांक 24.05.2016 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति व व्यास के 23 वृक्षों की सुरक्षा की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।

7.6 आवेदक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रभाव निर्धारण डिवीजन, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति संख्या–J-11015/219/2016-IA-II(M), दिनांक 1 फरवरी, 2017 के निर्देशों/समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

7.7 आवेदक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.8 पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः 3020 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मै० वेव माईन्स प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट गडेरा तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
08.02.18
(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव